कार्यालय उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांक:भ-4/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-14(बु0शहर)/ 1710 दिनांक: जून 17 2016,

सेवा मे,

सहायक अभियन्ता,
बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण,
बुलन्दशहर।

विषय: **श्री आबिद अली द्वारा मैसर्स सांई फार्च्यून डवलपर्स प्रा0 लि0 खसरा न0-1180सराय कुडिया रेलवे रोड बुलन्दशहर मे प्रस्तावित माल/मल्टीप्लैक्स एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु संशोधित मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भ: यूआईडी:2014/3916/बी0एच0आर/बुलन्दशहर/46/डी0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक के प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित माल/मल्टीप्लैक्स एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु संशोधित मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी बुलन्दशहर से किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी बुलन्दशहर द्वारा कर इसकार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 07-06-2016 के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कराये जाने के उपरान्त अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 14-06-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी बुलन्दशहर को उपलब्ध करायी गयी तथा उनके द्वारा आख्या एवं मानचित्रो का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 16-06-2016 इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, प्रस्तुत आख्याओ एवं अभिलेखो का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसके अनुसार भवन का विवरण निम्नवत है:-

प्रश्नगत भवन को पूर्व मे निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र संख्या दिनांक: 16-10-2014 के द्वारा आवासीय भवनों हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। तथा वर्तमान मे संशोधन के उपरान्त माल / मल्टीप्लैक्स हेतु अतिरिक्त निर्माण के लिये संशोधित मानचित्रों के अनुसार एरिया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-

कुल प्लाट एरिया-5482.45 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम तल	आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मी0	अधिभोग
1	भूतल	2013.73	शाप्स एन्कर स्टोर
2	प्रथम	1668.00	शाप्स एन्कर स्टोर
3	सर्विस तल	1940.00	सर्विसेज फार पाइप एण्ड डक्ट
4	द्वितीय	1940.00	ओडीज/ आवासीय
5	तृतीय	296.25	ओडीज/ आवासीय
6	बेसमेन्ट-प्रथम एवं द्वितीय	2052.55 एवं 2013.73 वर्ग मी0	लोवर ग्राउण्ड मे एन्कर स्टोर हाईपरमार्केट बेसमेन्ट में पार्किंग

2-भवन की ऊँचाई-24.20 मीटर।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग मल्टीप्लैक्स/कामर्शियल एवं आवासीय भवन एन0बी0सी-2005 की मिक्स भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 30.00 मी0 का रोड है प्रवेश एवं निकास द्वार जिनकी चौडाई 04.50 मीटर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-16.02 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

(एच0 एस0 मलिक)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार सैटबेक बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण मानको के अनुसार उपलब्ध है, जिसमे 06 मीटर मोटरेबुल सैटबेक भवन के चारो ओर दर्शाये गये है, जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा।

3- निकास मार्गः- प्रस्तावित भवन मे 05 स्टेयरकेस जिनमे 02 स्टेयर की चौडाई 02.00 मी0, 01 स्टेयर की चौडाई 01.50 मी0, व 01.25 मी0 का 01 स्टेयर एवं 01.20 मी0 चौडाई का 01 स्टेयर प्रस्तावित है, तथा फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4- रिफ्यूज एरियाः- प्रश्नगत आवासीय भवन मे बालकनी का प्राविधान किया गया है, जो रिफयूज एरिया हेतु अनुमन्य है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः- प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉछनीय है।

1-होजरीलः- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक/टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं उसमे सन्दर्भित बी0आई0एस0 के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-भूमिगत टैंकः प्रश्नगत भवन भूमिगत टैंक क्षमता 2,00,000 ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

3-पम्पसः प्रश्नगत भवन मे 2280 एल0पीएम0 क्षमता का मैन विद्युत चालित पम्प, समान क्षमता का स्प्रिंकलर पम्प व समान क्षमता का डीजल चालित पम्प एवं 180 एलपीएम क्षमता के 02 अदद जौकी पम्प एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4-टेरिस टैंकः प्रश्नगत कामर्शियल भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 20,000 ली0, एवं आवासीय भवन की टेरिस पर 25,000 हजार लीटर स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-टेरिस पम्पः- प्रश्नगत आवासीय भवन की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एल0पी0एम0 एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

6-वेटराईजरः- प्रस्तावित भवन मे वेटराईजर एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7-आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः-प्रश्नगत आवासीय भाग के अतिरिक्त सम्पूर्ण भवन एवं दोनो बेसमेन्ट मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

8-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः-प्रश्नगत भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0 सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

9-आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टमः-प्रश्नगत भवन मे आटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम एन0बी0 सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

11-यार्ड हाईड्रेन्टसः- प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन उस पर यार्ड हाईड्रेन्टस एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

12-स्मोक एक्सट्रेक्शन एवं चैक डोरः- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्सट्रेशन एवं मे फायर स्टेयर मे फायर चैक डोर एवं उक्ट सीलिंग आदि का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13-प्रेशराईजेशनः- प्रश्नगत कामर्शियल/ माल, मल्टीप्लैक्स भवन मे निकास मार्गो का प्रेशराईजेशन सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14-पी0ए0 सिस्टमः- सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15-एग्जिट साईनेजः- सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

16-मल्टीप्लैक्सः- माल मल्टीप्लैक्स हेतु उ0प्र0 शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के पत्र संख्याः 1821/छः-पु0-8-65 (रिट)/08 दिनांकः 25-07-2008 के अनुसार जनपदीय जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स सांई फार्च्यून डवलपर्स प्रा0 लि0 खसरा न0-1180सराय कुडिया रेलवे रोड बुलन्दशहर मे प्रस्तावित माल/मल्टीप्लैक्स एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु संशोधित मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल

(एन0 एस0 मलिक)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र

अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र फायर सर्विस मुख्यालय के आदेश संख्याः एफएस-1076/2012 दिनांक: 05-10-2012 के अनुपालन में इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2011 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र।

(एच0एस0 मलिक)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ परिक्षेत्र।

प्रतिलिपिः 1-निदेशक/संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी मोतीबाग बुलन्दशहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स सांई फार्च्यून डवलपर्स प्रा0 लि0 खसरा न0-1180 सराय कुडिया रेलवे रोड बुलन्दशहर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।